न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण टेलर**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध सं0 : 113/2026

(सीआईएस नं0 212/2026 एवं CNR No. RJBR01000566-2026)

रोहित उर्फ बाफला पुत्र नवलकिशोर उम्र 28 वर्ष निवासी खजूरपुरा बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज0) —प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राज0 राज्य जरिये लोक अभियोजक, बारां (राज0) —अप्रार्थी/विपक्षी

जमानत प्रार्थनापत्र **अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.**
एफ0आई0आर0 नं0 638/2025 पुलिस थाना कोतवाली बारां
अपराध धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0

उपस्थितः—
1— श्री पिंकेश जग्रवाल, अधिवक्ता— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2— श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक— अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से

——:: **आदेश** ::—— **दिनांकः 07.04.2026**

1— प्रार्थी/अभियुक्त रोहित उर्फ बाफला की ओर से **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कोतवाली बारां की **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 638/2025** अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0 के सन्दर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दिनांक **27.03.2026** को खारिज किये जाने के उपरांत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र होने का प्रमाण पत्र पेश किया गया, जिनकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिनकी ओर से केस डायरी पेश हुई।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार बताये गए हैं कि दिनांक 22.11.2025 को फरियादी कमल गहलोत ने राजकीय चिकित्सालय बारां में इस आशय के पर्चा बयान दिये हैं कि शिवाजी नगर बारां का रहने वाला है। आज दिनांक 22.11.2025 को समय करीब 11.00 ए.एम. की बात है। वह अम्बेडकर सर्किल पर हनुमान जी मंदिर के पास पान की बोडी पर खडा था। उसी समय दो मोटरसाईकिलों पर पांच व्यक्ति लोहे के सरिये व स्टीक व धारदार हथियार लेकर आये और सभी ने एक राय होकर उसके उपर हमला किया। वह वहां से जान बचाकर भागने लगा तो उसे पकड लिया और रोक कर सभी ने उसके उपर धारदार हथियार व स्टीक व लोके के सरिये से हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें लगी। फिर वह उन लोगों से जान बचाकर शराब के ठेके की तरफ भाग गया। मारपीट के दौरान मौके पर प्रदीप शर्मा व ओम मेघवाल व आस—पास के कई लोग थे। जिन्होंने घटना देखी थी। मारपीट के दौरान उसके गले की सोने की चैन कहीं गिर

गई या वे लोग झपट्टा मारकर ले गये। उसने चैन तलाश की नहीं मिली। फिर वे लोग मोटरसाईकिलों पर बैठकर भाग गये। उसके साथ मारपीट करने वालों ने मुंह पर रूमाल साफी बांध रखी थी। उसके साथ मारपीट करने के दौरान उनके मुंह के रूमाल खुल गये थे परन्तु वह नीचे पडा होने से उनको पहचान नहीं सका। फिर उसने उसके बडे भाई राजेन्द्र को फोन करके बुलाया जो उसे अस्पताल लेकर आया। उसका ईलाज चल रहा है। अकस्मात उसके उपर हमला होने व सिर में चोट होने से वह उनको पहचान नहीं सका .....इत्यादि।

3— उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 638/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 189(2) बी0एन0एस0 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0 का अपराध बनना पाया गया है। मामले में पुलिस अनुसंधान जारी है।

4— केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त रोहित उर्फ बाफला का इस प्रकरण के अलावा पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न होना बताया है—

क्र0सं0	नाम थाना	मुकदमा नंबर	धारा	चार्जशीट नं0	वर्तमान स्थिति
01	कोतवाली बारां	358/2023	147, 148, 149, 323, 324, 325, 307, 504 भा0दं0सं0	331/12.09.2023	पेण्डिंग कोर्ट
02.	कोतवाली बारां	777/2023	143, 341, 323, 325, 504 भा0दं0सं0	513/31.12.2023	फैसला दिनांक 25.09.2024 को राजीनामा दोषमुक्त
03	कोतवाली बारां	23/2024	147, 148, 341, 323, 384, 302, 504, 120 बी भा0दं0सं0 तथा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वी)(वीए) एससी/एसटी एक्ट	127/06.04.2024	पेण्डिंग कोर्ट
04	कोतवाली बारां	502/2025	126(2), 115(2), 118(1), 3(5) बी0एन0एस0 तथा 3(1)(आर), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट	55/17.03.2026	पेण्डिंग पुलिस
05	थाना अन्ता, जिला बारां	195/2025	310(4), 310(5) बी0एन0एस0 तथा 3/25(1—बी)(1) आर्म्स एक्ट	200/26.08.2025	पेण्डिंग कोर्ट
06	कोतवाली बारां	59/2026	116(2), 115(2), 110, 109(1), 189(2) बी0एन0एस0	—	पेण्डिंग अनुसंधान

5— बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उसका घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 8.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण कुलदीप व भारत उर्फ बिट्टू के जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. इस न्यायालय के आदेश

दिनांक 05.02.2026 द्वारा तथा प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण बालवीर उर्फ बलराम उर्फ बल्ला व लक्की यादव का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2026 द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त अन्य अभियुक्तगण से किसी प्रकार अधिक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जो पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया है उसमें से एक प्रकरण में प्रार्थी को राजीनामें के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है, शेष अन्य सभी प्रकरण अभी पेंडिंग न्यायालय व पेंडिंग अनुसंधान बताये गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय हाजा द्वारा लगायी जाने वाली सभी शर्तो का कानून के अनुसार पालन करने को तैयार है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की।

6— वितर्क में विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

7— प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित विधि को विचार में लेते हुए अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

8— अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0 के आरोप होकर प्रकरण अनुसंधानाधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नामजद नहीं है। फरियादी के कारित चोट सं0 4 गंभीर प्रकृति की बताई गई है जो कि दाहिने हाथ के अंगूठे पर है, शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। यद्यपि चोट सं0 01 धारदार हथियार से कारित हैं लेकिन यह चोट साधरण प्रकृति की बताई गई है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त रोहित उर्फ बाफला से एक बांस की लकडी बरामद की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण कुलदीप व भारत उर्फ बिट्टू के जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2026 द्वारा तथा प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण बालवीर उर्फ बलराम उर्फ बल्ला व लक्की यादव का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2026 द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त अभियुक्तगण से किसी प्रकार अधिक नहीं है। जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बताये गए पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड का प्रश्न है, आपराधिक रिकॉर्ड में इस प्रकरण के अलावा उसके विरूद्ध पूर्व के कुल—6 आपराधिक प्रकरण और उक्त वर्णित अनुसार दर्ज होना बताये गए हैं, जिनमें से उक्त क्रम सं0 2 पर दर्ज प्रकरण में प्रार्थी को राजीनामें के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है तथा शेष सभी प्रकरण पेण्डिंग न्यायालय व पेण्डिंग अनुसंधान चल रहे हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण की इस स्टेज पर गुणावगुण पर मत व्यक्त करना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के

समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बताये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9— परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त रोहित उर्फ बाफला** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस** (प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 638/2025 थाना कोतवाली बारां) स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां की संतुष्टि अनुसार **पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये** की दो जमानतें एवं **पचास हजार रूपये का** स्वयं का मुचलका न्यायालय में उपस्थिति बाबत् इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दे कि—

- वह न्यायालय में नियत प्रत्येक पेशियों पर हाजिर रहेगा,
- ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य द्वारा गवाहान को धमकाएगा या बरगलाएगा,

आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपराध की पुनर्रावृति करता है तो अभियोजन एवं फरियादी पक्ष को जमानत आवेदन निरस्त कराने का अधिकार होगा, तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

10— आदेश आज दिनांक **07.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)